रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 6 जनवरी, 2004/16 पौष, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त हमीरपुर, जिला हमीरपुर,
हिमाचल प्रदेश

अधिसूचना

हमीरपुर, 22 दिसम्बर, 2003

संख्या पंच हमीर (अधि)-3(प)/03-213-223.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, देवेश कुमार भा० प्र० से०, उपायुक्त, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर के विकास खण्ड नादौन, ग्राम पंचायत धनेटा में रिक्त पद प्रधान के दिनांक 30-11-2003 को हुए उप-चुनाव में निर्वाचित श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री अतर चन्द, गांव वथरूं, डाकघर धनेटा, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर के नाम का प्रकाशन जन साधारण की जानकारी हेतु इस शर्त पर अधिसूचित करता हूं कि इस उप-चुनाव से सम्बन्धित दायर की गई याचिका सी० डब्ल्यू० पी० नं० 945/2003 व सी० डब्ल्यू० पी० नं० 2191/2003 दिनांक 25-11-2003 जो अभी तक माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में लम्बित है। उसके निर्णय अनुसार ही मान्य होगी।

देवेश कुमार,
भा० प्र० से०,
उपायुक्त।

3429-राजपत्र/2003-6-1-2004—1,401. (2865) मूल्य : 1 रुपया।

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 23 दिसम्बर, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-7113-20.—यह है कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 12-8-2003 के अन्तर्गत श्री बालक राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत समौण, विकास खण्ड सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री बालक राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत समौण को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-4924-28, दिनांक 27-8-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे, कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाये।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पस्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समौण से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 2-7-2002 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम खनोखर के परिवार संख्या 26 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री बालक राम के ग्राम खनोखर, ग्राम पंचायत समौण के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 14-9-2001 को तीसरी सन्तान के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0प्र0से0), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री बालक राम, उप-प्रधान ग्राम पंचायत समौण, विकास खण्ड सुन्दरनगर को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं, तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत समौण विकास खण्ड सुन्दरनगर के उप-प्रधान के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 23 दिसम्बर, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-7121-28.—यह कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 18-9-2003 के अन्तर्गत श्री खेम राज, पंच, ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री खेम राज, पंच, ग्राम पंचायत जरल को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-6201-03, दिनांक 22-10-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे, कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए।

उपरोक्त के संदर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दिशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जरल से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 18-8-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम कमठा के परिवार संख्या 13 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री खेम राज, पंच के ग्राम कमठा, ग्राम पंचायय जरल के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 18-8-2003 को तीसरी सन्तान के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीद रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड(ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री खेम राज, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत जरल, विकास खण्ड करसोग के वार्ड कमठा-I के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 23 दिसम्बर, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-7129-36.—यह कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 26-8-2003 के अन्तर्गत श्री हेम सिंह, पंच, ग्राम पंचायत गोहर, विकास खण्ड गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री हेम सिंह, पंच, ग्राम पंचायत गोहर को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-5291-93, दिनांक 28-8-2003 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोहर से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 4-11-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम गोहर के परिवार संख्या 121(क) की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री हेम सिंह, पंच के ग्राम गोहर, ग्राम पंचायत गोहर के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात् दिनांक 25-6-2003 को तीसरी सन्तान के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी हैं।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री हेम सिंह, पंच, ग्राम पंचायत गोहर, विकास खण्ड गोहर को, तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं, तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत गोहर, विकास खण्ड, गोहर के वार्ड-6 गोहर-II के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

मण्डी, 23 दिसम्बर, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-7137-44.—यह कि इस कार्यालय में प्राप्त सूचना दिनांक 28-10-2002 के अन्तर्गत श्री रंगीला राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लटरान, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के दिनांक 8-6-2001 के उपरान्त तीसरी जीवित सन्तान उत्पन्न हुई है। प्राप्त उक्त सूचना के दृष्टिगत श्री रंगीला राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत लटरान को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-5897-5901, दिनांक 30-10-2002 के अधीन 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत उन्हें पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित किया जाए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में उक्त पंचायत पदाधिकारी से कोई स्पष्टीकरण लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है।

तथा यह कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लटरान से पंचायत अभिलेख पर आधारित जन्म प्रमाण-पत्र दिनांक 8-8-2003 तथा परिवार रजिस्टर अनुसार ग्राम बजोट के परिवार संख्या 12 की प्राप्त प्रमाणित प्रतियों अनुसार श्री रंगीला राम के ग्राम बजोट, ग्राम पंचायत लटरान के दिनांक 8-6-2001 के पश्चात दिनांक 11-8-2002 को चौथी सन्तान के उत्पन्न होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) में वर्णित अयोग्यता की परिधि में आते हैं। यह प्रावधान दिनांक 8-6-2001 से प्रभावी है।

ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी का अपने पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, अली रजा रिजवी (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री रंगीला राम, उप-प्रधान ग्राम पंचायत लटरान, विकास खण्ड द्रंग को तत्काल अपने पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत लटरान, विकास खण्ड द्रंग के उप-प्रधान को रिक्त घोषित करता हूं।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 19 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 37/77-17518-24.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से प्राप्त सूचना तथा प्रधान ग्राम पंचायत मुनिश बाहली की रिपोर्ट अनुसार श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश बाहली दिनांक 22-8-2001 से 22-3-2002 तक लगातार ग्राम पंचायत की 15 मासिक बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं इस तथ्य की पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, रामपुर से करवाई गई । पंचायत की कार्रवाई पुस्तिका की छानबीन से पाया गया कि उक्त श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश बाहली उपरोक्त वर्णित दिनांकों को पंचायत की बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। जिस कारण वह सदस्य पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रहे हैं।

यह कि इस बारे में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री पदम दास, सदस्य ग्राम पंचायत मुनिश बाहली, विकास खण्ड रामपुर को कारण बताओ नोटिस संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (4) 37/77-17051-56, दिनांक 21-11-2003 को इस कार्यालय द्वारा जारी किया गया था । जिसमें 15 दिनों के भीतर-भीतर पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहने हेतु कारण स्पष्ट करने का समय दिया था परन्तु उक्त नोटिस इस कार्यालय को इस टिप्पणी सहित वापिस प्राप्त हुआ है कि प्राप्त कर्ता दो साल से घर नहीं है, क्योंकि श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश बाहली दिनांक 22-8-2001 से 22-3-2002 तक लगातार ग्राम पंचायत की 15 मासिक बैठकों में बिना सूचना से अनुपस्थित रहे हैं और उसकी पंचायत के कार्यों में कोई रुची नहीं रह गई है, जिससे स्पस्ट होता है कि श्री पदम दास, सदस्य ने हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (ख) की उल्लंघना की है तथा वह ग्राम पंचायत मुनिश बाहली के सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री पदम दास, सदस्य, ग्राम पंचायत मुनिश बाहली, विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला के सदस्य को रिक्त घोषित कर, यह आदेश देता हूं कि उसके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत मुनिश बाहली को सौंप दें।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 18 दिसम्बर, 2003

सं0 पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0(त्याग-पत्र) 8/2003-17489-94.—यह कि श्री रणु राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धनत, विकास खण्ड चौपाल ने सरकारी नौकरी में लगने के कारण दिनांक 21-9-2003 को उप-प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने पत्र-संख्या सी0 बी0 आक0 रिक्तियां/2003-2157, दिनांक, 4-12-2003 के अन्तर्गत श्री रणु राम, उप-प्रधान ग्राम पंचायत धनत, के त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 135 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रणु राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धनत के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं तथा उप-प्रधान पद ग्राम पंचायत धनत को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला, 18 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0 (त्याग-पत्र) 8/2003-475.—यह कि श्री रमेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 3, क्यारी-II, ग्राम पंचायत सराहां, विकास खण्ड चौपाल की नियुक्ति शिक्षा विभाग में अशंकालीन जलवाहक के पद पर होने के कारण दिनांक 20-8-2002 को सदस्य पद से त्याग-पत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने पत्र-संख्या सी0 बी0 (आक0 रिक्तियां) 2003-2157, दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत सराहां के त्याग-पत्र की स्वीकृति करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 3, क्यारी-II, ग्राम पंचायत सराहां के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत सरांहा को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला-1, 18 दिसम्बर, 2003

सं0 पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0(त्यागपत्र) 8/2003-17481-86.—यह कि श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, वार्ड नम्बर 9, सराहां-I, ग्राम पंचायत सराहां, विकास खण्ड चौपाल ने शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में लगने के कारण दिनांक 28-8-2001 को सदस्य पद से त्यागपत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने पत्र संख्या सी0 बी0 (आक0 रिक्तियां)/2003-2157, दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, ग्राम पंचायत सराहां के त्यागपत्र को स्वींकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, वार्ड नं0 9, सराहां-I के त्यागपत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत सराहां को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला-1, 18 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच-एसएमएल0(त्यागपत्र) 8/0003.—यह कि श्रीमति मिनाक्षी शर्मा, सदस्या वार्ड रूवाड़ी, ग्राम पंचायत बम्टा, विकास खण्ड चौपाल ने अपने निजी कारणों से दिनांक 2-7-2002 को पंचायत सदस्या पद से त्यागपत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने पत्र संख्या सी0बी0 (आक0 रिक्तियां)/2003-2157 दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्रीमति मिनाक्षी शर्मा सदस्या ग्राम पंचायत बम्टा के त्यागपत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति मिनाक्षी शर्मा, सदस्या ग्राम पंचायत बम्टा के त्यागपत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत बम्टा को रिक्त घोषित करता हूं।

आदेश द्वारा,

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 8 दिसम्बर, 2003

सं0 पी सी एन-एस एम आर (धारा-122)/2003-11811-21.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नाहन से सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत बिरला के वार्ड नं0 2 के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह के यहां दिनांक 7-5-2003 को एक तीमरे शिशु का जन्म हुआ है।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्री राजेन्द्र सिंह कथित सदस्य तथा ग्राम पंचायत बिरला के पंचायत सचिव को परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित बुलाया गया। श्री राजेन्द्र सिंह बावजूद इतलाह के उपस्थित नहीं आया तथा उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र दत्त के ब्यान कलमबद्ध किये गये जिसने अपने ब्यान के दौरान जन्म पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ सं0 5 तथा परिवार रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उपरोक्त रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि विवादित शिशु का जन्म दिनांक 7-5-2003 को हुआ है तथा जिसका पंजीकरण कथित श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं ही दिनांक 27-5-2003 को करवाया गया है तथा परिवार रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार यह शिशु कथित सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का तीसरा शिशु है।

अतः मैं, एम0 एल0 शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत बिरला, विकास खण्ड नाहन को हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन अधिनियम की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरला के सदस्य पद से अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम पंचायत बिरला के वार्ड नं0 2 के सदस्य पद को उक्त अधिनियम की धारा 131 (1) (क) के अन्तर्गत रिक्त घोषित करता हूं।

नाहन-173001, 15 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (धारा-122)/2003-11976-82.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई से सूचना प्राप्त हूई है कि ग्राम पंचायत अशयाडी के वार्ड नं0 4 की सदस्या श्रीमती सज्जी देवी पत्नी श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम टिम्बी, तहसील शिलाई द्वारा 6-10-2002 को एक चौथे शिशु को जन्म दिया गया है।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या तथा ग्राम पंचायत अशयाडी के पंचायत सचिव को परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित बुलाया गया।

श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या ने उसको जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसके साथ उसने Sterlisation Introduction Card भी प्रस्तुत किया। उसने अपने जवाब तथा इस कार्यालय में लिये गये अपने ब्यान में बताया कि श्रीमती सज्जी देवी ने अपना नसबन्दी ओपरेशन दिनांक 28-1-2002 को करवाया था तथा विवादित नवजात शिशु का जन्म दिनांक 6-10-2002 को नसबन्दी ओपरेशन के पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है और ओपरेशन से पहले उनके तीन बच्चे हैं और यह शिशु उनका चौथा शिशु है। इसके अतिरिक्त श्रीमती सज्जी देवी ने अपने ब्यान में यह भी विरोध किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत वह अयोग्यता के दायरे में नहीं आती है। शिशु के जन्म के तथ्य की पुष्टि श्री सुरेन्द्र कुमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अशयाडी द्वारा लाये गए जन्म पंजीकरण रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर से भी की गई।

जहां तक विवादित शिशु के जन्म का प्रश्न है इस बारे किसी प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि प्रस्तुत किए गए रिकार्ड तथा श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या के ब्यान से इस तथ्य की दुष्टि हो जाती है किन्तु विवादित शिशु का जन्म नसबन्दी ओपरेशन के बाद उनकी अनिच्छा से हो जाना हिमाचल प्रदेश पंचायती

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम, 135 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रणु राम, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धनत के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं तथा उप-प्रधान पद ग्राम पंचायत धनत को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला, 18 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0 (त्याग-पत्र) 8/2003-475.—यह कि श्री रमेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 3, क्यारी-II, ग्राम पंचायत सराहां, विकास खण्ड चौपाल की नियुक्ति शिक्षा विभाग में अशंकालीन जलवाहक के पद पर होने के कारण दिनांक 20-8-2002 को सदस्य पद से त्याग-पत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने पत्र-संख्या सी0 बी0 (आक0 रिक्तियां) 2003-2157, दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्री रमेश कुमार, सदस्य, ग्राम पंचायत सराहां के त्याग-पत्र की स्वीकृति करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रमेश कुमार, सदस्य, वार्ड नं0 3, क्यारी-II, ग्राम पंचायत सराहां के त्याग-पत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत सराहां को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला-1, 18 दिसम्बर, 2003

सं0 पी0 सी0 एच0-एस0एम0एल0(त्यागपत्र) 8/2003-17481-86.—यह कि श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, वार्ड नम्बर 9, सराहां-I, ग्राम पंचायत सराहां, विकास खण्ड चौपाल ने शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में लगने के कारण दिनांक 28-8-2001 को सदस्य पद से त्यागपत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने पत्र संख्या सी0 बी0 (आक0 रिक्तियां)/2003-2157, दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, ग्राम पंचायत सराहां के त्यागपत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती निलम हिमटा, सदस्या, वार्ड नं0 9, सराहां-I के त्यागपत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत सराहां को रिक्त घोषित करता हूं।

शिमला-1, 18 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एच-एसएमएल0(त्यागपत्र) 8/0003.—यह कि श्रीमति मिनाक्षी शर्मा, सदस्या वार्ड रूवाड़ी, ग्राम पंचायत बम्टा, विकास खण्ड चौपाल ने अपने निजी कारणों से दिनांक 2-7-2002 को पंचायत सदस्या पद से त्यागपत्र दिया है, जिसे खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने पत्र संख्या सी0बी0 (आक0 रिक्तियां)/2003-2157 दिनांक 4-12-2003 के अन्तर्गत श्रीमति मिनाक्षी शर्मा सदस्या ग्राम पंचायत बम्टा के त्यागपत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 130 (1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमति मिनाक्षी शर्मा, सदस्या ग्राम पंचायत बम्टा के त्यागपत्र को स्वीकृत करता हूं तथा सदस्य पद ग्राम पंचायत बम्टा को रिक्त घोषित करता हूं।

आदेश द्वारा,

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173001, 8 दिसम्बर, 2003

सं0 पी सी एन-एस एम आर (धारा-122)/2003-11811-21.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नाहन से सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत बिरला के वार्ड नं0 2 के सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह के यहां दिनांक 7-5-2003 को एक तीमरे शिशु का जन्म हुआ है।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्री राजेन्द्र सिंह कथित सदस्य तथा ग्राम पंचायत बिरला के पंचायत सचिव को परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित बुलाया गया। श्री राजेन्द्र सिंह बावजूद इतलाह के उपस्थित नहीं आया तथा उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पंचायत सचिव श्री देवेन्द्र दत्त के ब्यान कलमबद्ध किये गये जिसने अपने ब्यान के दौरान जन्म पंजीकरण रजिस्टर के पृष्ठ सं0 5 तथा परिवार रजिस्टर के सम्बन्धित पृष्ठ की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उपरोक्त रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि विवादित शिशु का जन्म दिनांक 7-5-2003 को हुआ है तथा जिसका पंजीकरण कथित श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा स्वयं ही दिनांक 27-5-2003 को करवाया गया है तथा परिवार रजिस्टर की प्रविष्टि के अनुसार यह शिशु कथित सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह का तीसरा शिशु है।

अतः मैं, एम0 एल0 शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत बिरला, विकास खण्ड नाहन को हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन अधिनियम की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरला के सदस्य पद से अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ग्राम पंचायत बिरला के वार्ड नं0 2 के सदस्य पद को उक्त अधिनियम की धारा 131 (1) (क) के अन्तर्गत रिक्त घोषित करता हूं।

नाहन-173001, 15 दिसम्बर, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (धारा-122)/2003-11976-82.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई से सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम पंचायत अशयाडी के वार्ड नं0 4 की सदस्या श्रीमती सज्जी देवी पत्नी श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम टिम्बी, तहसील शिलाई द्वारा 6-10-2002 को एक चौथे शिशु को जन्म दिया गया है।

उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या तथा ग्राम पंचायत अशयाडी के पंचायत सचिव को परिवार रजिस्टर, विवाह पंजीकरण रजिस्टर तथा जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित बुलाया गया।

श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या ने उसको जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया जिसके साथ उसने Sterlisation Introduction Card भी प्रस्तुत किया। उसने अपने जवाब तथा इस कार्यालय में लिये गये अपने ब्यान में बताया कि श्रीमती सज्जी देवी ने अपना नसबन्दी ओपरेशन दिनांक 28-1-2002 को करवाया था तथा विवादित नवजात शिशु का जन्म दिनांक 6-10-2002 को नसबन्दी ओपरेशन के पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है और ओपरेशन से पहले उनके तीन बच्चे हैं और यह शिशु उनका चौथा शिशु है। इसके अतिरिक्त श्रीमती सज्जी देवी ने अपने ब्यान में यह भी विरोध किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत वह अयोग्यता के दायरे में नहीं आती है। शिशु के जन्म के तथ्य की पुष्टि श्री सुरेन्द्र कुमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अशयाडी द्वारा लाये गए जन्म पंजीकरण रजिस्टर तथा परिवार रजिस्टर से भी की गई।

जहां तक विवादित शिशु के जन्म का प्रश्न है इस बारे किसी प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि प्रस्तुत किए गए रिकार्ड तथा श्रीमती सज्जी देवी कथित सदस्या के ब्यान से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है किन्तु विवादित शिशु का जन्म नसबन्दी ओपरेशन के बाद उनकी अनिच्छा से हो जाना हिमाचल प्रदेश पंचायती

राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में इस अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन अधिनियम की धारा 19 द्वारा अन्त:स्थापित खण्ड (ण) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

अत: मैं, एम0 एल0 शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0), हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन की धारा 19 द्वारा अन्त:स्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत श्रीमती सज्जी देवी, सदस्या, ग्राम पंचायत अशयाडी, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर को ग्राम पंचायत अशयाडी के वार्ड नं0 4 के सदस्य पद पर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 म हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 7 के अन्तर्गत सदस्य ग्राम पंचायत अशयाडी के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

नाहन-173001, 17 दिसम्बर, 2003

सं0 पी सी एन-एल एम आर (5) 50/96-III-12124-32.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, संगडाह, जिला सिरमौर द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत लाना पालर के वार्ड नं0-3 के सदस्य श्री कमल देव पुत्र श्री शिव राम की मृत्यु दिनांक 5-9-2003 को हो गई है, जिस कारण यह पद खाली हो गया है ।

अत: मैं, एम0 एल0 शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लाना पालर, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर के वार्ड नं0-3 के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

एम0 एल0 शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

OFFICE OF THE EXCISE AND TAXATION COMMISSIONER, SOLAN DISTRICT, SOLAN

NOTIFICATION

Solan, the 17th December, 2003

No. EXN-SLN-Tax-2003-04-20362-393.—It is hereby notified for the information of all concerned that the registration certificate issued under the HPGST Act, 1968 and CST Act, 1956 in respect of dealer in Solan district have been cancelled *w. e. f.* 6-12-2003:—

Sl. No.	Name of the Dealer	R. C. No.	Date of Cancelled
1	2	3	4
1.	M/s Vidya Hi Tech. Industries Shop No. 4, Gole Market 1st Floor, Sect.-1, Parwanoo.	SOL-III-7794 SOL-CST-7745	6-12-2003

SANJAY BHARDWAJ,
Assistant Excise and Taxation Commissioner,
Solan District, Solan.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित